भाग 2 (ब)

प्रस्तर02:- निक्षेप मद में धनराशि रु. 8.25 करोड़ अवरुद्ध रहना एवं कुम्भ मेला-2015 के कार्यों में प्राप्ति से अधिक व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 519 के अनुसार निक्षेप निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए। कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, हरिद्वार के मासिक लेखे के प्रपत्र 79 के अनुसार खंड के पास निक्षेप के रूप में पड़ी धनराशि में से कुछ धनराशियाँ बहुत पुराने कार्यों से संबन्धित थी, जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	मद का नाम	अवशेष धनराशि
01	कुम्भ मेला 2010	1979828.00
02	दैवीय आपदा/ पी आई यू	46243.00
03	अर्ध कुम्भ 2016	75811779.00
04	दैवीय आपदा 2014-15	35831.00
05	दैवीय आपदा काँवड़ पटरी 2016-17	198103.00
06	दैवीय आपदा- 2010-11	756458.00
07	दैवीय आपदा- 2017-18	541321.00
08	काँवड़ मेला 2017-18	121217.00
कुल योग		**79490780.00**

चूंकि उपरोक्त समस्त कार्य काफी पुराने समय के थे अतः इनके पूर्ण होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यदि कार्य पूर्ण हो चुके थे तो खंड द्वारा लेखाबन्दी कर अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त खंड के पास प्रशासनिक खंड, रुड़की की धनराशि रु. 30.35 लाख भी पड़ी थी, जिसके संबंध में पूछे जाने पर भी इकाई द्वारा कुछ भी अवगत नहीं कराया गया।

(2) वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के पैरा संख्या 580 मे निहित प्रावधानों के अनुसार deposit कार्यो पर व्यय प्राप्त धनराशि तक सीमित रखा जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि काँवड़ मेला 2015 से संबन्धित कार्यो पर प्राप्ति से अधिक व्यय किया गया है जिसके कारण अंतिम अवशेष रु. (-) 67215.00 दर्शाया गया था। अतः वित्तीय प्रावधानों का अनपालन न कर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किया गया था। इस संबंध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा कोई भी आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा किसी भी बिन्दु का प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। अतः निक्षेप मद में रु. 8.25 करोड़ अवरुद्ध रखे जाने एवं कावड़ मेला 2015 के कार्यों में प्राप्ति से रु. 67,215.00 अधिक व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संगयान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्त01 - :वृहद निर्माण मद की धनराशि रु. 2.54 लाख का व्यावर्तन कर अनुरक्षण मद में भुगतान किया जाना।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार के विस्तृत जांच हेतु चयनित माह (मार्च 2020) के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित अनुरक्षण मद (मुख्य लेखाशीर्ष 2700/ 2701) से संबन्धित देयकों का भुगतान वृहद निर्माण मद (मुख्य लेखाशीर्ष 4700) से किया गया है: -

क्र. सं.	अनुबंध संख्या/ कार्यादेश संख्या दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान की धनराशि (रु. में)	वाउचर संख्या/ दिनांक
01	38/ 5259 03.11.2019	सोलानी नदी के बाएँ तट पर पूर्व निर्मित तटबंध का मरम्मत कार्य	74610.00	02/ 03.03.2020
02	47/5257/AE I 27.09.2019	चमरिया नहर नया गाँव में गूल मरम्मत कार्य	98377.00	152/ 29.03.2020
03	14/5376/18-19 17.01.2019	Repairing of BH Bundh in Distt. Haridwar	80731.00	153/ 29.03.2020
		कुल योग	253718.00	

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः वृहद निर्माण मद की धनराशि रु. 2.54 लाख का व्यावर्तन कर अनरक्षण मद में भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर03 - :ठेकेदारों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग किए जा रहे उप-खनिजों के लिए देय रॉयल्टी की कटौतियाँ न किया जाना तथा रु.10.79 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग 1-के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/-24ख 2007/दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रॉयल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार के चयनित माह (मार्च 2020) की रोकड़ बही एवं बिल/वाऊचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौतियाँ नहीं की गयी थी। साथ ही कुछ देयकों में रॉयल्टी का प्रावधान (रु. 8.43 लाख) किए जाने के बावजूद भी रॉयल्टी की धनराशि की कटौती न कर ठेकेदार को पूर्ण भुगतान किया गया था। साथ ही इन देयकों में रॉयल्टी की कटौती न किए जाने के सापेक्ष Form J/ MM II भी नहीं पाये गए थे। (संलग्नक I)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि संलग्न सूची के समस्त देयकों के भुगतान के समय ठेकेदार द्वारा Form J/ MM II प्रस्तुत किया गया था एवं लेखापरीक्षा को अवलोकित करा दिया जाएगा, अतः रॉयल्टी की धनराशि देयकों में से नहीं काटी गई थी। किन्तु इकाई द्वारा लिखित में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया न ही रॉयल्टी की वसूली से संबन्धित Form J/ MM II लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए एवं न ही उत्तर में इनकी छायाप्रति संलग्न की गई। साथ ही रॉयल्टी की कुल धनराशि पूछे जाने पर भी इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः इस संबंध में अपेक्षित रहेगा संलग्नक -I में दी गई सूची के संबंध में, खंड कार्य हेतु इस्तेमाल में लायी गई उप खनिज की मात्रा एवं उसके सापेक्ष ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए Form J/ MM II की सूची तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराये।

अतः कार्यों में इस्तेमाल किए गए उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि नहीं काटे जाने अथवा इनसे संबन्धित Form J/ MM II लेखापरीक्षा में अवलोकित नहीं कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

उरोक्त के अतिरिक्त खंड द्वारा नमूना चयनित माह 03/2020 के निम्नलिखित बीजक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उनका सत्यापन नहीं किया जा सका:

क्रमांक	वाउचर संख्या/ दिनांक	धनराशि रु. में
i.	66/ 26.03.2020	23232.00
ii.	70/ 26.03.2020	98560.00
iii.	71/ 26.03.2020	98560.00
iv.	74/ 26.03.2020	98202.00
v.	137/ 28.03.2020	230568.00

vi.	148/ 29.03.2020	22400.00
vii.	163/ 29.03.2020	25200.00
viii.	164/ 29.03.2020	19630.00
ix.	165/ 29.03.2020	47790.00
x.	166/ 29.03.2020	9440.00
xi.	167/ 29.03.2020	49750.00
xii.	168/ 29.03.2020	34500.00
xiii.	172/ 30.03.2020	56056.00
xiv.	174/ 31.03.2020	92060.00
xv.	175/ 31.03.2020	92600.00
xvi.	176/ 31.03.2020	80600.00
	कुल योग	**1079148.00**

इसके

अतिरिक्त DCL मद से संबन्धित रोकड़ बही प्रस्तुत न किए जाने से DCL मद के अंतर्गत किए गए व्यय से संबन्धित नमूना माह 03/2020 के देयकों का रोकड़ बही से सत्यापन नहीं किया जा सका।

अतः रु. 10.79 लाख के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण विस्तृत जांच में उनके सत्यापन नहीं होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

अतः लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच हेतु चयनित माह (03/2020) से संबन्धित बीजकों की जांच में पायी गई उपरोक्त अनियमितताओं को उच्चाधिकारियों के सङ्ग्यान में लाया जाता है।

संलग्नक-I

बीजक जिनमें रॉयल्टी की धनराशि की कटौती नहीं की गई है

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	वाऊचर संख्या/दिनांक	भुगतान की धनराशि	प्रावधानित रॉयल्टी की धनराशि	वसूली/काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि
1.	जनपद हरिद्वार के गंगा नदी के दायें तट पर बालावली से खानपुर तटबंध के कीमी 5 से 2.5 कीमी की बाढ़ सुरक्षा में स्पार का निर्माण	एस आर इंफ्राटेक	01/02.03.2020	1000000.00	0	0
2.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Maneesh Kumar	04/ 03.03.2020	465974.00	0	0
3.	Construction of wire crate spur for protection of Kaboolpuri village	Dilshad khan	18/ 13.03.2020	2671076.00	382536.00	0
4.	बहादराबाद ब्लॉक में लालढ़ांग नहर की मरम्मत एवं सुदृढीकरण की योजना	AS Associates	19/ 19.03.2020	61504.00	0	0
5.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Anand Kumar	28/ 23.03.2020	483273.00	14348.00	0
6.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Anand Kumar	29/ 23.03.2020	481917.00	0	0
7.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Maneesh Kumar	43/ 23.03.2020	485411.00	13355.00	0
8.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Tikam Singh	44/ 23.03.2020	392497.00	0	0

9.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Tikam Singh	49/ 23.03.2020	495374.00	0	0
10.	जनपद हरिद्वार के गंगा नदी के दायें तट पर बालावली से खानपुर तटबंध के कीमी 5 से 2.5 कीमी की बाढ़ सुरक्षा में स्पार का निर्माण	एस आर इंफ्राटेक	84/ 26.03.2020	3081194.00	0	0
11.	जनपद हरिद्वार के गंगा नदी के दायें तट पर बालावली से खानपुर तटबंध के कीमी 5 से 2.5 कीमी की बाढ़ सुरक्षा में स्पार का निर्माण	Marc Engg	85/ 26.03.2020	2516772.00	0	0
12.	जनपद हरिद्वार के गंगा नदी के दायें तट पर बालावली से खानपुर तटबंध के कीमी 5 से 2.5 कीमी की बाढ़ सुरक्षा में स्पार का निर्माण	Construction Gallery	86/ 26.03.2020	4490846.00	0	0
13.	जनपद हरिद्वार के गंगा नदी के दायें तट पर बालावली से खानपुर तटबंध के कीमी 5 से 2.5 कीमी की बाढ़ सुरक्षा में स्पार का निर्माण	Construction Gallery	87/ 26.03.2020	6600000.00	0	0
14.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Arvind & Associates	88/ 26.03.2020	483412.00	0	0
15.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Arvind & Associates	115/ 26.03.2020	484587.00	0	0
16.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	KK Enterprises	161/ 29.03.2020	1680000.00	223372.00	0
17.	Construction of irrigation canal from STP at Jagjeetpur to Rani Majra	Vikram Singh	171/ 30.03.2020	831070.00	0	0

18.	Construction of ghat left bank Mayapur Scape channel in front of Sati Ghat	Susheel Const	06/ 04.03.2020	3044170.00	0	0
19.	Construction of ghat left bank Mayapur Scape channel in front of Sati Ghat	Susheel Const	07/ 04.03.2020	2376483.00	0	0
20.	Construction of ghat left bank Mayapur Scape channel in front of Sati Ghat	Susheel Const	08/ 04.03.2020	1913123.00	0	0
21.	Extension of Govind Ghat 200M length in the right bank of Ganga Canal in block Bahadarabad	Parag Jain	12/ 13.03.2020	13100000.00	0	0
22.	Construction of 102 M length snan ghat at near Ramghat in right bank of Ganga canal block Bahadarabad	Satya Sai Builders	10/ 07.03.2020	6707600.00	209820.00	0
				53846283.00	**843431.00**	